[श्री संतोष कुमार गंगवार]

बड़ा परिवर्तन लाने का काम किया। उन्होंने एक ऐतिहासिक कानून पास किया, जो अपने आप में बहुत बड़ी दिशा देने का काम कर रहा है। पिछले 70 वर्षों से इस संबंध में किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन आज उस दिशा में कानून बनाया गया। इसी सदन ने अभी कुछ दिन पहले...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति : आप उनके सुझाव को ध्यान में रखिए।

श्री संतोष कुमार गंगवार : जी सर, हम इसका ध्यान रखेंगे। मैं इतना कहना चाहता हूं कि यह महत्वपूर्ण फैसला आपके ही सदन के द्वारा लिया गया है। इस विषय पर सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहूंगा कि यह विषय हमारे मंत्रालय से संबंधित नहीं है, यह सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से संबंधित है, लेकिन इस संदर्भ में आपके जो भी सुझाव हैं, उन्हें मैं माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री जी के पास भिजवा दूंगा। लेकिन थर्ड जेंडर के लिए ...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN : Next supplementary. Everybody should get an opportunity. There are fifteen questions.

श्री संतोष कुमार गंगवार : सर, थर्ड जेंडर के लिए जो भी बात होगी, वे सुझाव मैं संबंधित मंत्री तक पहुंचा दूंगा, क्योंकि अब कानून बनने की दिशा में प्रक्रिया चल रही है।

DR. SANTANU SEN: Sir, my second supplementary is, as of now, all the transgenders have not been included in the census and the voters list so far as the list of the Election Commission of India is concerned. What steps is the Government of India going to take to include all of them and to encourage them as well? Thank you.

Multi-level car parkings in Delhi

*173. SARDAR SUKHDEV SINGH DHINDSA : Will the Minister of HOUSING AND URBAN AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether DDA in collaboration with various corporations of Delhi have approved any plan to construct multi-level car parking at various empty grounds in order to cope with the parking problems in the capital;

(b) if so, the areas already sanctioned or approved for the purpose;

(c) by when, the sanction/approval was given in each case; and

(d) the areas where work is likely to start?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS (SHRI HARDEEP SINGH PURI) : (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the Home.

Statement

(a) No, Sir. Delhi Development Authority (DDA) has informed that it has not approved any plan to construct multi-level car pakings at various vacant grounds in collaboration with Corporations of Delhi. However, DDA has allotted following parking plots to construct multi-level car parkings to the Municipal Corporations:

(I) Plots allotted to South Delhi Municipal Corporation:

(i) 467.83 square meters adjoining Adhchini Village along the road leading towards Janta Flats on Aurobindo Marg on 28.12.2017.

(ii) 1,000 square meters at Ring Road adjoining Waste to Wonder Park on 16.08.2019.

(II) Plot allotted to North Delhi Municipal Corporation:

(i) 14,199.46 square meters at Shahi Idgah Mudewalan Paharganj Area on 18.12.2018.

(ii) 2,632.50 square meters at R G Complex Deshbandhu Gupta Road on 12.07.2019.

(b) to (d) Do not arise.

सरदार सुखदेव सिंह ढिंडसा : सर, आप भी जानते हैं और सारा हाउस जानता है कि आज दिल्ली में पार्किंग का बहुत बुरा हाल है। मंत्री जी ने कहा है कि 2 कॉरपोरेशंस को, South Delhi Municipal Corporation and North Delhi Municipal Corporation को डीडीए ने प्लॉट अलॉट कर दिये हैं। लेकिन कुछ ऐसे एरियाज़ भी हैं, रेज़िडेंशियल एरियाज़, जहां पर बहुत दफा आपने सुना होगा कि गोलियां भी चल गयीं, बहुत कुछ हो गया। क्या इनका और कई जगहों पर प्लॉट अलॉट करने की, दूसरी Municipal Corporations को प्लॉट अलॉट करने की भी कोई स्कीम है?

श्री हरदीप सिंह पुरी : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगा, उनका प्रश्न था कि whether there is any proposal for DDA, in collaboration with MCDs, to construct parking slots, जहां पर भी वेकेंट जमीन है, तो उसका उत्तर मैंने दिया कि ऐसा कोई प्रपोज़ल नहीं है। दिल्ली शहर में, जहां पर जनसंख्या बढ़ती जा रही है और खास करके गाड़ियों की संख्या बढ़ती जा रही है, इस पार्किंग की समस्या को और congestion की समस्या को हल करने के और भी तरीके हैं। Effective public transport – इसमें बहुत जरूरी है कि...

श्री सभापति : डिटेल में मत जाइए।

श्री हरदीप सिंह पुरी : उन्होंने रेज़िडेंशियल एरियाज़ की बात की। सर, अगर हम रेज़िडेंशियल एरियाज़ में पब्लिक ट्रांसपोर्ट-हमारे पास ECS norms हैं कि हरेक रेज़िडेंशियल एरिया में, सरकारी बिल्डिग्स में कितनी पार्किंग नॉर्म्स होनी चाहिए। हमारा यही प्रयत्न है कि हम उन नॉर्म्स को फॉलो करें। बाकी डीडीए अपने कई कार पार्किंग प्रोजेक्ट्स बना रहा है। अगर वे चाहें तो मैं उनको ये नम्बर्स दे सकता हूं।

सरदार सुखदेव सिंह ढिंडसा : सर, माननीय मंत्री जी बहुत competent हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो नई कॉलोनीज़ बनती हैं, क्या उनमें यह प्रोविज़न है कि वह पहले parking lot बनाए, उसके बाद कोई काम करे?

श्री हरदीप सिंह पुरी : सर, जब किसी नई कॉलोनी का कंसेप्ट आता है, तो उस कॉलोनी का तब तक अप्रूवल ही नहीं हो सकता है, जब तक कि उसमें traffic norms, पार्किंग की व्यवस्था, solid and liquid waste के ट्रीटमेंट आदि के प्रोविज़न्स न हों। इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम कभी भी नई कॉलोनी के मास्टर प्लान में या जो सरकारी कॉलोनीज़ हैं, उनमें काम नहीं करते हैं, जब तक कि उनमें ट्रैफिक, पार्किंग, waste management आदि के provisions adequately न किए जाएं।

MR. CHAIRMAN: This is the least specific question. We cannot have a general discussion. Now, Q. No. 174. The questioner is not present. Are there any supplementaries?

*174. *[The questioner (Shri P.L. Punia) was absent.]*

छोटी शहरी बस्तियों की संख्या में वृद्धि

*174. **श्री पी.एल. पुनिया** : क्या **आवासन और शहरी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) क्या यह सच है कि देश में बड़ी शहरी बस्तियों की तुलना में छोटी शहरी बस्तियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो छोटी शहरी बस्तियों की संख्या और उनकी आबादी कितनी है;

(ग) क्या सरकार छोटी शहरी बस्तियों का समन्वित शहरी नियोजन करने का विचार रखती हैं; और

(घ) यदि हां, तो कार्य योजना सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरदीप सिंह पुरी) : (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।